प्रपत्र - 6/2017
हबीबुद्दीन v/s लल्लु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22/11/24	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस मे निवेदन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे दिनांक 25.06.1984 को आराजी खसरा नम्बर 1039/1/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा आवंटन की गई है। आवंटी ने उक्त भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष दावा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने अपने पारित निर्णय/ डिक्री मुकदमा इब्तदाई दिनांक 04.12.2014 से आवंटी को साबिक खसरा नम्बर 1039/1/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 2837 रकबा 0.97 है. मे से 2 बीघा 12 बिस्वा की हद तक रकबा .065 है. वाके ग्राम सोप का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के उक्त निर्णय के विरूद्व अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2022 मे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपील पोषणीय नही होने से इस स्तर पर खारित की जाती है का उल्लेख किया है। पक्षकारान मध्य उक्त भूमि बाबत सिविल न्यायालय मे भी प्रकरण जेरकार है। खातेदारी अधिकारी मिलने के बाद आवंटन खारिज नही किया जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया जा चुका है। अप्रार्थी को आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार दिये गये थे,परन्तु खातेदारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या–1 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित अपने निर्णय/डिक्री मुकदमा इब्तदाई दिनांक 04.12.2014 से प्राप्त हुये है। अतः प्रार्थना पत्र विधिक आपत्तियां दर्ज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने बाबत को स्वीकार कर आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे(28) 2021 पृष्ठ संख्या 148,आर.बी.जे 2021 पृष्ठ संख्या 747 व आर.बी.जे 2020 पृष्ठ संख्या 648 उद्वरित किये है। अभिभाषक प्रार्थी ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया गया है। 14(4) की कार्यवाही यहां प्रस्तुत निर्णय से भिन्न है। न्यायालय हाजा का यहां यह जांच करना है कि क्या आवंटन नियमानुसार हुआ है अथवा नही। आवंटन फार्म पर पटवारी कि रिपोर्ट नही है। आवंटन के समय उक्त भूमि रिक्त नही थी और ना ही आवंटी का कब्जा था। आवंटी ने इकरारनामे के आधार पर उक्त भूमि मेरे पिता को हस्तानान्तरित कर दी थी। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग ना कर उक्त भूमि का बेचान किया है। उक्त भूमि के सबंध मे सिविल न्यायालय मे वाद जेरकार है। अतः प्रार्थना पत्र विधिक आपत्तियां दर्ज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने बाबत को अस्वीकार किया जाना न्याय संगत है। P.T.O. जिला कलेक्टर टोंक

प्रार्थना – 6/2017
रवीन्द्र v/s लल्लू

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष मे दिनांक 25.06.1984 को आराजी खसरा नम्बर 1039/1/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1013/1/8 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम सोप मे आवंटन की गई है,जिसमे से प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1039/1/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया है। पत्रावली मे उपलब्ध निर्णयो का अवलोकन करने से विदित होता है कि आवंटी ने उक्त भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष दावा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने अपने पारित निर्णय/ डिक्री मुकदमा इब्तदाई दिनांक 04.12.2014 से आवंटी को साबिक खसरा नम्बर 1039/1/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 2837 रकबा 0.97 है. मे से 2 बीघा 12 बिस्वा की हद तक रकबा .065 है. वाके ग्राम सोप का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के उक्त निर्णय के विरूद्व अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2022 मे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपील पोषणीय नही होने से इस स्तर पर खारित की जाती है का उल्लेख किया है। अप्रार्थी को आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है और खातेदारी अधिकारी अप्रार्थी संख्या–1 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित अपने निर्णय/डिक्री मुकदमा इब्तदाई दिनांक 04.12.2014 से प्राप्त हुये है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1039/1/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सोप का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा निर्णय/डिक्री मुकदमा इब्तदाई दिनांक 04.12.2014 की पालना मे खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रार्थी न्यायालय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2022 के विरूद्व समक्ष न्यायालय मे चारा–जोही करने हेतु स्वंतत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र विधिक आपत्तियां दर्ज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने बाबत को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

फलतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक आपत्तियां दर्ज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने बाबत को स्वीकार कर प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

जिला कलेक्टर
टोंक